



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082026-275315
CG-DL-E-08082026-275315

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4223]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4223]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4401(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 41.369 (उपविभागीय अधिकारी, बारामती) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिविजनल आफीसर, बारामती को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 41.369 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बारामती					
गांव का नाम: जारद्वारी					
1	311	निजी	एग्रीकल्चर	0.0231 (हेक्टेयर)	0.0231
2	312	निजी	एग्रीकल्चर	0.0377 (हेक्टेयर)	0.0377
3	313	निजी	एग्रीकल्चर	0.0114 (हेक्टेयर)	0.0114
4	315	निजी	एग्रीकल्चर	0.0564 (हेक्टेयर)	0.0564
5	Canal	सामान्य	एग्रीकल्चर / नॉन एग्रीकल्चर	0.0344 (हेक्टेयर)	0.0344
6	Road	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
गांव का नाम: उण्डवाड़ी कडे पत्थर					
7	10	निजी	एग्रीकल्चर	0.0854 (हेक्टेयर)	0.0854
8	15	निजी	एग्रीकल्चर	0.0046 (हेक्टेयर)	0.0046
9	16	निजी	एग्रीकल्चर	0.0263 (हेक्टेयर)	0.0263
10	17	निजी	एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
11	48	निजी	एग्रीकल्चर	0.0258 (हेक्टेयर)	0.0258
12	5	निजी	एग्रीकल्चर	0.0531 (हेक्टेयर)	0.0531
13	574	निजी	एग्रीकल्चर	0.0421 (हेक्टेयर)	0.0421
14	577	निजी	एग्रीकल्चर	0.4424 (हेक्टेयर)	0.4424
15	579	निजी	एग्रीकल्चर	0.0335 (हेक्टेयर)	0.0335
16	580	निजी	एग्रीकल्चर	0.0138 (हेक्टेयर)	0.0138

17	8	निजी	एग्रीकल्चर	0.1312 (हेक्टेयर)	0.1312
18	9	निजी	एग्रीकल्चर	0.0165 (हेक्टेयर)	0.0165
Total					1.0578

[फा. सं. NHAI/PIU/PNDR/LA/2018/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4401(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH965G in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 41.369 (Sub Divisional Officer, Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub divisional Officer, Baramati in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH965G in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 41.369 (Sub Divisional Officer, Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Baramati					
Village: Jaradwadi					
1	311	Private	Agriculture	0.0231 (Hectare)	0.0231
2	312	Private	Agriculture	0.0377 (Hectare)	0.0377
3	313	Private	Agriculture	0.0114 (Hectare)	0.0114
4	315	Private	Agriculture	0.0564 (Hectare)	0.0564
5	Canal	Common	Agriculture / Non Agriculture	0.0344 (Hectare)	0.0344
6	Road	Government	Non Agriculture	0.0126 (Hectare)	0.0126

Village: Undavadi Kade Pathar					
7	10	Private	Agriculture	0.0854 (Hectare)	0.0854
8	15	Private	Agriculture	0.0046 (Hectare)	0.0046
9	16	Private	Agriculture	0.0263 (Hectare)	0.0263
10	17	Private	Agriculture	0.0075 (Hectare)	0.0075
11	48	Private	Agriculture	0.0258 (Hectare)	0.0258
12	5	Private	Agriculture	0.0531 (Hectare)	0.0531
13	574	Private	Agriculture	0.0421 (Hectare)	0.0421
14	577	Private	Agriculture	0.4424 (Hectare)	0.4424
15	579	Private	Agriculture	0.0335 (Hectare)	0.0335
16	580	Private	Agriculture	0.0138 (Hectare)	0.0138
17	8	Private	Agriculture	0.1312 (Hectare)	0.1312
18	9	Private	Agriculture	0.0165 (Hectare)	0.0165
Total					1.0578

[F. No. NHAI/PIU/PNDR/LA/2018/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director